INVESTMENT GUARANTIES

Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA

Signed at New Delhi November 19, 1997



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

"...the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence... of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

INDIA

Investment Guaranties

Agreement signed at New Delhi November 19, 1997; Entered into force April 16, 1998.

INVESTMENT INCENTIVE AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND

THE GOVERNMENT OF INDIA

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA and THE GOVERNMENT OF INDIA;

AFFIRMING their common desire to encourage economic activities in India that promote the development of the economic resources and productive capacities of India; and

RECOGNIZING that this objective can be promoted through investment support provided by the Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), a development institution and an agency of the United States of America, in the form of investment insurance and reinsurance, debt and equity investments and investment guaranties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

As used in this Agreement, the following terms have the meanings herein provided.

- (a) "Investment Support" refers to any debt or equity investment, any investment guaranty and any investment insurance or reinsurance which is provided by the Issuer in connection with a project in the territory of India.
- (b) "Issuer" refers to OPIC and any successor agency of the United States of America, and any agent of either.
- (c) "Investment Insurance" means insurance against any or all of the following risks:

- (i) inability to convert into United States dollars other currencies, or credits in such currencies, received as earnings or profits from projects, as repayment or return of the investment therein, in whole or in part, or as compensation for the sale or disposition of all or any part thereof;
- (ii) loss of investment, in whole or in part, in a project due to expropriation or confiscation by action of the Government of India;
- (iii) loss due to war, revolution, insurrection or civil strife; and
- (iv) loss due to business interruption caused by any of the risks set forth in subparagraphs (i), (ii) and (iii) above.

ARTICLE 2

If under the laws of India the making of a loan, equity investment, or other form of investment requires an approval of the Reserve Bank of India, the Foreign Investment Promotion Board, the Ministry of Finance, or the Ministry of Industry, or such other agency of the Government of India as may be specified by the Government of India by notice to the Issuer, the provisions set forth in this Agreement with respect to Investment Support for or constituting such loan, equity investment or other form of investment shall apply only if such approval has been issued.

ARTICLE 3

(a) The activities of the Issuer shall not be subject to regulation under the laws of India with respect to Investment Insurance or reinsurance extended outside of India to U.S. investors, including entities domiciled in third countries having not less than 95 percent U.S. ownership, or with respect to reinsurance extended to non-U.S. entities not domiciled in India.

- (b) If the Issuer makes a payment to any person or entity, as Issuer of Investment Insurance or an investment guaranty in connection with any Investment Support, the Government of India shall recognize in connection with any dispute contemplated under the provisions of Article 6(c) hereof the transfer to the Issuer in connection with such payment of the right to exercise the rights and assert the claims of such person or entity.
- (c) With respect to any interests transferred to the Issuer or any interests to which the Issuer succeeds under this Article, the Issuer shall assert no greater rights than those of the person or entity from whom such interests were received, without prejudice to any other rights that the two parties may have in their sovereign capacities.

ARTICLE 4

- (a) Amounts in the currency of India, including cash, accounts, credits, instruments or otherwise, acquired by the Issuer upon making a payment, or upon the exercise of its rights as a creditor, in connection with any Investment Support provided by the Issuer for a project in India ("Local Currency"), shall be freely convertible into dollars and transferable to the United States at the prevailing market rate of exchange on the date of conversion.
- (b) Local Currency may be transferred or loaned by the Issuer to, or invested by the Issuer in, any person or entity in accordance with relevant laws and regulations in force in the territory of India.
- (c) Local Currency shall be freely available to the Government of the United States of America for administrative expenditures.

ARTICLE 5

Provisions equivalent to those of this Agreement shall apply with respect to investment support by the Export Credit Guaranty Corporation Ltd. or any other agency designated by the Government of India for investments in the United States under a program similar in substance to the investment incentive program to which this Agreement relates, upon completion of any constitutional or other legal processes of either Government

that may be required and an exchange of notes to be made at the initiative of either Government.

ARTICLE 6

- (a) Any dispute between the Government of the United States of America and the Government of India regarding the interpretation of this Agreement shall be resolved, insofar as possible, through negotiations between the two Governments. If, six months following a request for negotiations hereunder, the two Governments have not resolved the dispute, the dispute, including the question of whether such dispute presents a question of international law, shall be submitted, at the initiative of either Government, to an arbitral tribunal for resolution in accordance with paragraph (b) of this Article.
- (b) The arbitral tribunal referred to in paragraph (a) of this Article shall be established and shall function as follows:
- (i) Each Government shall appoint one arbitrator. These two arbitrators shall by agreement designate a president of the tribunal who shall be a citizen of a third state and whose appointment shall be subject to acceptance by the two Governments. The arbitrators shall be appointed within three months, and the president within six months, of the date of receipt of either Government's request for arbitration. If the appointments are not made within the foregoing time limits, either Government may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague to make the necessary appointment or appointments. Both Governments hereby agree to accept such appointment or appointments.
- (ii) Decisions of the arbitral tribunal shall be made by majority vote and shall be based on the applicable principles and rules of international law. Its decision shall be final and binding on the parties. The arbitral tribunal shall state the basis for its decision and give reasons therefor upon the request of either Government.
- (iii) During the proceedings, each Government shall bear the expense of its arbitrator and of its representation in the proceedings before the tribunal, whereas the expenses of the president and other costs of the arbitration shall be paid in equal parts by the two Governments. In its

award, the arbitral tribunal may reallocate expenses and costs between the two Governments.

- (iv) In all other matters, the arbitral tribunal shall determine its own procedures.
- (c) The above procedure for negotiation and arbitration will also apply in respect of claims of the Issuer in connection with acts attributable to the Government of India which involve questions of liability under public international law.

ARTICLE 7

- This Agreement shall enter into force on the date on (a) which the Government of India notifies the Government of the United States of America that all legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled. entering into force, this Agreement shall replace and supersede the agreement between the United States of America and India on the Guaranty of Private Investments effected by exchange of notes signed at Washington on September 19, 1957 as supplemented by exchanges of notes signed at Washington on December 7, 1959 and at New Delhi on February 2, 1966 (the "Prior Agreement"), and any matter relating to Investment Support or otherwise pending under such agreement shall be treated or disposed of under the terms of this Agreement, except any matters relating to Investment Support as to which, prior to the entry into force of this Agreement, disputes have been raised between the two Governments under the terms of the Prior Agreement, which disputes shall be treated or disposed of under the Prior Agreement.
- (b) This Agreement shall continue in force until six months from the date of receipt of a note by which one Government informs the other of an intent to terminate this Agreement. In such event, the provisions of this Agreement shall, with respect to Investment Support provided while this Agreement was in force, remain in force so long as such Investment Support remains outstanding, but in no case longer than twenty years after the termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi, on the 19th day of Movember, 1997, in two originals, each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In the case of any divergence between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT OF INDIA:

Illouline Olbrig (

for melun

त्रंयुक्त राज्य अमरोका की सरकार

और

भा रत

तरकार

• बीच

निवेश प्रोत्साहन इरार

तंयुक्त राज्य अमरीका की तरकार और भारत तरकार ;

भारत में आर्थिक गतिविधियों, जो भारत के आर्थिक तैताधनों और उत्पादक क्षमताओं के विकास का संवर्धन करेंगी, को बढ़ावा देने की अपनी सामान्य इच्छा की अभिपुष्टित करते हुए; और

यह स्वीकारते हुए कि इस उद्देश्य को ओवरतीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन श्रेओ पिकश्र, जो एक विकास संस्था है और संयुक्त राज्य अमरीका का अभिकरण है, द्वारा निवेश बीमा और पुनर्वीमा, श्रण और इक्विटी निवेशों और निवेश गारेटियों के रूप में प्रदत्त निवेश सहायता के ज़रिए बढ़ाया जो सकता है;

निम्न रूप में तहमत हुई हैं:

अनुच्छेद [

इस करार में यथा प्रयुक्त, निम्नलिखित पद यहाँ नीचे दिए गए अर्थ रखते हैं।

> के "नियेश तहायता" का अर्थ है कोई अन अथवा इक्विटी नियेश, कोई नियेश गारेटी और कोई नियेश बीमा अथवा पुनर्वीमा, जो भारत के भू-भाग में किसी परियोजना के संबंध में निर्ममकर्ता दारा किया गया हो ।

१व१ "निर्ममकर्ता" का अर्थ है औ पिक और तंग्रुक्त राज्य अमरीक का कोई उत्तरवर्ती अभिकरण और दोनों में ते किती का कोई अभिकर्ता।

हुँगहुं "निवेश बीमा" का अर्थ है निम्नतिवित में ते किसी एक अथवा सभी जौविमों के पृति बीमा:

हैं। इं अन्य मुद्राओं, अथवा ऐसी मुद्राओं में के डिट को अमरीकी डालर में परिवर्तित करने की असमर्थता, जो परियोजनाओं से आय अथवा लाभ के रूप में, उसमें किए गए निवेश के पूर्णतः अथवा अंशतः प्रतिसंदाय या आय के रूप में, अथवा उसकी पूर्णतः या अंशतः बिकृति अथवा व्ययन के लिए क्षतिपृति के रूप में प्राप्त हुआ हो;

शे। श्रे भारत तरकार के कार्य द्वारा त्वामित्वहरण अथवा जब्ती के कारण किसी परियोजना में पूर्णतः अथवा वंशतः निवेश की हानि ;

है।।। हे युद्ध, कृरित, विद्रोह अथवा तिवित उपद्रव के कारण हानि ; और १।∨१ उपर्युक्त उप-पेराग्राफ १।१,१।१६ और १।।१ में बतार नर किती जी बिम द्वारा हुए व्यवसाय व्यवधान के कारण हानि ।

अनुच्छेद २

यदि भारत के कानूनों के अधीन अण, इक्विटी निवेश, अथवा निवेश का कोई अन्य रूप निरूपादित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश तैवर्धन बोर्ड, विस्त मंत्रानय अथवा उद्योग मंत्रानय अथवा भारत तरकार के किती ऐते अन्य अभिकरण, जेता भी निर्ममकर्ता को नी दित देकर भारत तरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, का अनुमोदन अपेधित हो, तो निवेश तहायता के लिए अथवा ऐते श्रण, इक्विटी निवेश या निवेश के किती अन्य रूप के निर्माण के तैबंध में निर्धारित इस करार के उपबंध तभी नागू होंगे यदि ऐसा अनुमोदन जारी कर दिया गया हो !

अनुच्छेद ३

के भारत ते बाहर, तंपुक्त राज्य अमरीका के निवेशकों जिनमें तंपुक्त राज्य अमरीका के कम ते कम 95 प्रतिव्यत स्वामित्य वाते ऐते निकाय शामिल हैं जिनका अधिवास तोसरे देशों में है, अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से इतर उन निकायों, जिनका अधिवास भारत में नहीं, को दी गई निवेश बीमा अथवा पुनर्बीमा सहायता के संबंध में निर्ममकर्ता की गतिविधियां भारत के कानूनों के तहत विनिधम के अधीन नहीं होंगी।

हुं खूँ यदि निर्ममकर्ता निवेश बीमा अथवा किसी निवेश सहायता ते जुड़ी निवेश गारैटी के निर्ममकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति अथवा निकाय की, कोई मुगतान करता है, तो भारत सरकार अनुच्छेद 6 हुं गहुं के उपबंधों के अधीन विचाराधीन किसी विवाद के संबंध में ऐसे भुगतान से जुड़े अधिकारों का प्रयोग करने और ऐसे व्यक्ति या निकाय के दावों का प्राख्यान करने का अधिकार निर्गमकर्ता को अंतरित किए जाने को मान्यता देगी।

शृंग निर्गमकर्ता को अंतरित किए गए किसी हित अथवा किसी ऐसे हित जिसे निर्गमकर्ता ने इस अनुच्छेद के अधीन उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया हो, के संबंध में निर्गमकर्ता, किन्हीं अन्य अधिकारों, जो दोनों पक्षों के पात अपनी प्रमुसत्ता-सम्पन्न क्षमताओं में है, पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति अथवा निकाय, जिससे ऐसे हित प्राप्त किए गए हों, से अधिक अधिकारों का प्राख्यान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 4

हुं कहूं भारत की मुद्रा में राशिया, जितमें नकदी, लेखे, के डिट, लिखतें अथवा अन्य रूप बामिल हैं, जिन्हें निर्णमकर्ता ने कोई मुगतान करने पर अथवा भारत में किसी परियोजना के लिए निर्णमकर्ता द्वारा दी गई किसी निवेश सहायता के तैंबंध में, लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर प्राप्त किया हो है "स्थानीय करेंसी" है डालरों में मुक्त रूप से अंतरणीय और परिवर्तन की तारीख को विनिमय को प्रवित्त बाजार दर पर संग्रुक्त राज्य अमरीका को अंतरणीय होगी।

ईखं स्थानीय करेंती, भारत के भू—भाग में प्रवृत्त तंगत कानूनों और विनियमों के अनुतार किती व्यक्ति अथवा निकाय को निर्ममकर्ता द्वारा अंतरित की जा तकती है, भ्रण के रूप में दी जा तकती है अथवा निवेशित की जा तकती है । क्ष्मक्षे स्थानीय करेंती प्रशासनिक व्ययों के निर्धासन राज्य अमरीका की तरकार की मुक्त रूप ते उपलब्ध होगी ।

अनुच्छेद ५

इत करार के उपकंशों के तमकक्ष उपकंश, एक्सपोर्ट के डिट नारंटी कापोरेशन निमिटेड द्वारा अथवा ता भूत में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिसते यह करार तैंबंधित है, के तमान किसी कार्यक्रम के तहत तंश्चक्त राज्य अमरीका में निवेशों के निर भारत तरकार द्वारा पदनामित किसी अन्य अभिकरण के तैंबंध में, दोनों में ते किसी भी तरकार ते यथाअपेक्षित किसी तांविधिक अथवा अन्य कानूनी पृक्षियाओं के पूरा होने पर, और दोनों में ते किसी भी तरकार की पहल पर टिप्यणियों का आदान-प्रदान किस् जाने पर नागू होंगे।

अनुच्छेद ६

के के तैयुक्त राज्य अमरीका की तरकार तथा भारत तरकार के मध्य इस करार की व्याख्या ते तैकंथित किसी विवाद का समाधान, यथा तेमव, दोनों तरकारों के मध्य वातांजों द्वारा किया जाएगा । यदि, इसके अधीन वातांजों के लिए अनुरोध किए जाने के छह माह तक दोनों तरकारों द्वारा विवाद का समाधान न किया गया हो तो विवाद को, यह पृत्रन शामिल करते हुए कि क्या ऐसे विवाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पृत्रन शामिल है, किसी भी तरकार की पहल पर, समाधान हेतु इस अनुष्ठेद के पैराध्यक्ष के अनुतार किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को पृस्तुत किया जाएगा ।

- ृष्त इत अनुच्छेद के परा १०० में उल्लिखित माध्यस्थम न्यायाधिकरण का निम्नप्रकार गठन किया जाएगा तथा वह निम्नानुसार कार्य करेगा :
- ११६ प्रत्येक सरकार एक मध्यस्य की नियुक्ति करेगी । ये दोनों मध्यस्य सहमति से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को पदामिहित करेंग जो एक नियुक्ति तोतरे राज्य का नागरिक होगा तथा जिसकी दोनों तरकारों की स्वीकृति के अध्यक्षीन होगी । मध्यस्थों की नियुक्ति किसी भी सरकार की मध्यस्थता हेतु प्रार्थना की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर तथा अध्यक्ष की छह माह के भीतर की जाएगी । यदि नियुक्तियाँ पूर्वोक्त समय सोमाओं के भीतर नहीं की जाती है, तो कोई भी सरकार, किसी अन्य करार की अनुपत्थिति में हेग स्थित स्थायी माध्यस्थम न्यायालय के महात्यिव से आवश्यक नियुक्ति या नियुक्तियाँ करने का अनुरोध कर सकती है । दोनों सरकार एतद्वारा ऐसी नियुक्ति या नियुक्तियाँ को स्वीकृत करने के निए सहमत हैं।
- ।।। माध्यस्यम न्यायाधिकरण के निर्णय बहुमत द्वारा किए जारंग तथा
 प्रयोज्य तिद्वान्तों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर
 आधारित होंगे। इतका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर
 बाध्यकारी होगा, माध्यस्थम अधिकरच अपने निर्णय का आधार
 बताएगा तथा दोनों/किसी भी तरकार के अनुरोध पर उतके कारण
 बताएगा।

ई।।।ई कार्यवाहियों के दौरान, प्रत्येक तरकार अपने मध्यस्य तथा न्यायाधिकरण के तमक्ष कार्यवाहियों में अपने प्रतिनिधित्व का बर्च वहन करेगी, जबकि अध्यक्ष का बर्च तथा माध्यस्थम की अन्य लामतों को दोनों तरकारों द्वारा बराबर वहन किया जाएगा। अपने पैचाट में, माध्यस्थम न्यायाधिकरण तरकारों दोनों / के मध्य बर्चों तथा लागतों को चुनः निर्धारित कर तकता है।

\$ 1 ∨ \$ अन्य तभी मामलों में, माध्यत्थम अधिकरण अपनी पृक्रियार है त्वर्य निर्धारित करेगा ।

श्रेगश्र वार्ता तथा मध्यस्थता के निर उपर्युक्त प्रक्रिया भारत सरकार के कारण हुई धटनाओं के कारण निर्ममकर्ता के दावों के तैबंध में भी लागू होगी जिनमें लोक अंतर्राकट्रीय कानून के अन्तर्गत दायित्व का प्रश्न शामिल है ।

अनुच्छेद ७

इक्ट्रं यह करार उस तिथि से प्रवृत्त होगा जब भारत सरकार तैयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को अधिसूचित कर दे कि इस करार के प्रवृत्त होने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार प्रवृत्त होने पर, यह करार 19 सितम्बर, 1957 को वार्शिंगदन में हस्ताक्षर किए गए दिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा प्रभावित गारंटी आफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सँबंध में तैयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के बीच हुए करार को प्रतिस्थापित तथा अधिकृमित कर लेगा जिसे 7 दिसम्बर, 1959 को वार्शिंगदन में तथा 2 परवरी, 1966 को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए टिप्पानियों के आदान-प्रदान पूर्व करार द्वारा संपूरित किया गया है, और ऐसे करार के अन्तर्गत निवेश सहायता से संबंधित अथवा अन्यथा लेकित कोई मामला किया जाएगा जाएगा करार की शतों के अन्तर्गत व्यवहत अथवा निपटाया जाएगा, सिवाय निवेश सहायता से संबंधित उनमामलों के जिनके संबंध में इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व, दोनों सरकारों के बीच पूर्ववर्ती करार की शतों के अन्तर्गत विवादों को उठाया गया है, जो विवाद पूर्ववर्ती करार के तहत व्यवहत किए जाएंगे अथवा निपटाए जाएंगे।

ध्या यह करार उस दिप्पणी जिसके द्वारा एक सरकार दूसरी सरकार की इस करार की समाप्ति के आश्रय के बारे में स्चित करती है, की प्राप्ति की तिथि ते छह माह तक प्रवृत्त होना जारी रहेगा । ऐसी तिथिति में, इस करार के उपबंध , प्रदत्त निवेश तहासता के तैबंध में, जब यह करार प्रवृत्त था, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक निवेश तहायता बकाया रहे, ते किन किसी भी तिथिति में इस करार की समाप्ति के बाद बीस दबी से अधिक अविधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

जितके ताक्ष्य में अधोहरताधरकर्ताओं ने अपनी-अपनी तरकारों की ओर ते विधिवत् प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 19 नवस्वर, 1997 को तस्यन्न इत करार की हिन्दी और अंग्रेजी माषाओं में दो-दो मूल प्रतियाँ तैयार की गई हैं, तभी पाठ तमान रूप ते प्रामाणिक हैं। ट्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

धीर्विद्धांस्य प्रथमरोका की सरकार की और ते भी निवधान मरकार की और ते